न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/132 **दायरा दिनांक : 01.07.2025**

उनवान

रामनारायण आत्मज कन्हैया लाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1. रामस्वरूप आत्मज रामनारायण, जाति ब्राहमण,
2. हरिओम आत्मज रामनारायण, जाति ब्राहमण,
3. सुरेन्द्र आत्मज रामनारायण, जाति ब्राहमण,
4. बनवारी आत्मज रामनारायण, जाति ब्राहमण,
5. गोपाल आत्मज रामनारायण, जाति ब्राहमण,
6. गुड्डी बाई पुत्री रामनारायण, जाति ब्राहमण,
   निवासीगण ग्राम बमोरा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. रूकमणी पुत्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण,
2. सम्पत बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण,
3. कैलाश आत्मज कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण,
4. रामदयाल आत्मज कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण,
5. चन्द्रमोहन आत्मज कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण,
   निवासीगण ग्राम बमोरा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
6. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री भगवती वल्लभ शर्मा एवं श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 13.02.2026

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 328/2004 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्रामबमोरा, तहसील छबडा में मुताबिक जमाबंदी संवत 2060 से 2063 में खाता संख्या 180 में खसरा नं. 7 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 8 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 106 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 141 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 142 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 320 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 361 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 457 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 663 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 9 किता कुल रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा दर्ज राजस्व अभिलेख है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 से पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेश दिये जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 खिलाफ कानून एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्थान टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) रूल्स 1955 के प्रावधानों के विपरीत नेचुरल जस्टिस के खिलाफ पारित की है, जो काबिल निरस्तनीय है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा द्वितीय अपील कमांक 3344/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2019 रेस्पोडेंट कम 1 रामनारायण जिनकी मृत्यु सन 2013 में हो चुकी थी तथा अपीलांट कम 1 लगायत 5 सगे भाई बहिन होने के बावजूद अन्दर मियाद 90 दिवस में कायम मुकाम नहीं बनाने से स्वतः ही अबेट न कर मृतक रेस्पोडेंट कम 1 रामनारायण के खिलाफ द्वितीय अपील मंजूर कर दी जो कानूनन वाईट है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 19.06.2007 बहाल कर दिया जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2008 से निरस्त फरमा दिया था, जिसकी रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 काबिल निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2007 को पारित कर दी थी तथा राजस्व मण्डल अजमेर ने द्वितीय अपील वादीगणों की रेस्पोडेंट कम 1 रामनारायण जिनकी मृत्यु सन 2013 में हो चुकी थी, मृतक के खिलाफ अपील अबेट नहीं कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2019 पारित फरमा दी तथा वोईड डिक्री की पालना में श्रीमान के न्यायालय से अपास्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2007 की पालना में बिना बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 28.08.2019 के बाद मंगवाये न्यायालय में राजस्व मण्डल से पत्रावली दिनांक 08.07.2020 को प्राप्त होने के दिन ही अंतिम डिक्री जैर अपील दिनांक 08.07.2020 को पारित कर दी, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने प्रतिवादी रामनारायण मृतक के वारिसों को दिनांक 08.07.2020 से पूर्व तलब नहीं किया और न बंटवारा प्रस्ताव जिसका वर्णन निर्णय दिनांक 08.07.2020 में ब्यौरा भी नहीं दिया गया है, के बावजूद मनमाने तरीके से बंटवारा नियम 18 से 21 का उल्लंघन करते हुए अपीलांट के कब्जे व खेतों में खुदवाये दो ट्यूबवैल का अन्य वादीगणों को देते हुए अंतिम डिक्री पारित कर दी, जो काबिल निरस्तनीय है। बंटवारा प्रस्ताव किस अधिकारी ने कब किस के सामने तैयार किया, निर्णय में नहीं दर्शाया गया है। अंतिम डिक्री बंटवारा नियमों के विपरीत, बिना सक्षम अधिकारी के बंटवारा रिपोर्ट तैयार हुए जारी की है, जो काबिल निरस्तनीय है। वादग्रस्त समस्त भूमि पर प्रतिवादी रामनारायण एवं रामनारायण की मृत्यु के बाद आज तक कब्जा काश्त अपीलांटस का चला आ रहा है तथा मौके पर खसरा नं. 320 के सम्पूर्ण रकबे पर दोनों पूरब एवं पश्चिम में दो बोरवैल लगे हुए हैं तथा मौके पर काश्त हो रही है तथा अंतिम डिक्री में अनउपयुक्त काश्त योग्य खेतों के 7 – 7 टुकड़े कर काश्त व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर दिया है। अतः अपील अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 पेश कर निवेदन है कि अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 निरस्त फरमायी जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.12.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि वादीगण रेस्पोण्डेन्टस् क्रम–1 लगायत 5 ने मृतक रामनारायण के खिलाफ बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा, जिला बांरा मे पेश किया, जिसमे प्राथमिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2007 को पारित की गई। प्राथमिक डिक्री के खिलाफ प्रतिवादी मृतक रामनारायण ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां प्रथम अपील क्रमांक 445/2007 बउनवान रामनारायण बनाम रूकमणी वगैरा पेश की, जिसे दिनांक 14.02.2008 को मंन्जूर फरमाते हुऐ निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा दिनांक 19.06.2007 निरस्त फरमा दिया। श्रीमान के न्यायालय की डिक्री दिनांक 14.02.2008 के विरूद्ध वादीगण/रेस्पोण्डेन्ट ने राजस्व मण्डल, अजमेर मे द्वितीय अपील क्रमांक टी.एक्ट/3344/2008 बउनवान रूकमणी वगैरा बनाम रामनारायण पेश की जिसे दिनांक 28.02.2019 को मंजूर फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2007 बहाल रखते हुए दावा बंटवारा डिक्री यथावत रखा गया। राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 28.02.2019 की पालना में बिना तलबी (मृतक रामनारायण के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये बिना) अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.07.2020 को अन्तिम डिक्री पारित फरमा दी, जिससे व्यथित होकर मृतक रामनारायण के कायम मुकामानो द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ अन्तिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 के खिलाफ अपील पेश की है, जिसका निर्णय होना है। राजस्व मण्डल, अजमेर में द्वितीय अपील जैरकार रहते हुए एवं निर्णय दिनांक 28.07.2019 के मध्य रेस्पोण्डेन्ट रामनारायण की मृत्यु सन् 2013 में हो गई, अर्थात निर्णय राजस्व मण्डल मृतक के खिलाफ पारित किया गया, जो शून्य है, जिसका रेव्यू प्रार्थना–पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर मे मृतक रामनारायण के कायम मुकामान द्वारा पेश किया है, जो जैरकार है। अन्तिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 जो पारित की गई है, वह मृतक रामनारायण के खिलाफ, बिना कायम मुकामान (अपीलाण्टस) को रिकार्ड पर लिये पारित की है, जो विधि विरूद्ध है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली 328/2004 बउनवान रूकमणी बनाम रामनारायण की ऑर्डर सीट दिनांक 19.06.2007, दिनांक 11.07.2007 एवं दिनांक 08.07.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.06.2007 को दावा डिक्री हुआ (प्राथमिक) दिनांक 11.07.2007 तक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है, मंगवाया

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जावे एवं दिनांक 08.07.2020 की ऑर्डर सीट में कही नहीं लिखा है कि विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे, लिखा हो पत्रावली राजस्व मण्डल से प्राप्त होने पर पेशी में ली गई, फैसला बहाल रहा है। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2007 की पालना मे डिक्रीदार ने प्रार्थना–पत्र पेश किया, रामनारायण फोत हो चुका है, कायम मुकाम बनाकर अन्तिम डिक्री पारित की जावे। तहसीलदार की प्राप्त रिपोर्ट से विभाजन की डिक्री पारित कर दी। उक्त निर्णय अन्तिम डिक्री में दिनांक 28.07.2019 बाद रिमाण्ड श्रीमान द्वारा कब बंटवारा रिपोर्ट मांगी गई स्पष्ट नही है। मृतक के कायम मुकाम बिना बनाये, बुलाये अन्तिम डिक्री मृतक के खिलाफ पारित कर दी। बंटवारा रिपोर्ट के वास्ते कब नोटिस दिया, किसने रिपोर्ट तैयार की एवं बंटवारा नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना कैसे, कब की गई रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं है, और न ही रिपोर्ट में कोई तारीख अंकित है। रामनारायण की मृत्यु दिनांक 12.02.2013 मे हुयी है। बंटवारा रिपोर्ट जिसके आधार पर अन्तिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 पारित की है, जो 2007 मे बनाई गई थी। जिसमे तहसीलदार छबड़ा ने न तो मौका रिपोर्ट नियम 18 से 21 की पालना कर बनाई है। मृतक के वारिसान को सुना भी नही, रिपोर्ट मे तहसीलदार के हस्ताक्षर अथवा किसी भी तारीख का उल्लेख नही है। मृतक के खिलाफ अन्तिम डिक्री बना दी। सर्व प्रथम ज्ञान से अपील धारा 96 सी.पी. सी. के तहत पेश है, जिसका खण्डन नही है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(1) पेज 476, आर.आर.टी. 2023(1) पेज 585, आर.आर.टी. 2024(2) पेज 792, आर.आर.टी. 2024(2) पेज 1389, आर.आर.डी. 2017 पेज 473 की नजीरे उद्धरत की, जो शामिल पत्रावली की गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 रामनारायण के शामलाती खाते की आराजियात ग्राम बमोरा, तहसील छबडा में मुताबिक जमाबंदी सवंत 2060 से 2063 में खाता संख्या 180 में खसरा नं. 7 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 8 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 106 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 141 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 142 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 320 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 361 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 457 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 663 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 9 किता रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा

(दीप्ति शेखावत मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 का 1/6 – 1/6 हिस्सा प्रत्येक का स्थित है। प्रतिवादी कम 1 वादी का सगा बडा भाई है, जिसके पांच पुत्र है जो वादीगण से आये दिन लडाई झगडा करते रहते है। वादीगण की आराजी पर भी कब्जा करने की कोशिश करते है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विरूद्ध प्रतिवादी एवं बहक वादीगण इस आशय की डिक्री फरमायी जाये कि विवादग्रस्त आराजी में से वादीगण का 1/6 – 1/6 हिस्सा अलग कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाये और बंटवारा करा कर सीमाज्ञान करवाया जाये तथा प्रतिवादी कम 1 और उनके पुत्रों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वे वादीगण के 1/6 – 1/6 हिस्से पर काश्त करने में किसी भी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करे और न ही किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 रामनारायण द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी कम 1 और वादीगण के पिता कन्हैया लाल ने अपने जीवन काल में वादग्रस्त आराजी में से खसरा नं. 7 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नं. 8 रकबा 1 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 1 को 10000/– रूपये में बेचकर कब्जा संभला दिया तब से ये भूमियां प्रतिवादी कमांक 1 के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि यदि वादग्रस्त भूमियों का विभाजन किया जाये तो भूमि खसरा नं. 7 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नं. 8 रकबा 1 बीघा प्रतिवादी कम 1 के नाम पृथक से खाते दर्ज की जाये तथा शेष भूमियां वादीगण कमांक 3 ता. 5 के मध्य विभाजित की जाकर उनके पृथक–पृथक खाते दर्ज की जावे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2007 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य विभाजन कर 1/6 – 1/6 हिस्से का पृथक से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने एवं हिस्सानुसार भूमि का सीमाज्ञान करने व वादीगण को कब्जा दिलाने जाने एवं प्रतिवादी कम 1 व उसके पुत्रों को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निर्णय पारित किया, जिससे अप्रसन्न होकर प्रतिवादी कम 1 अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 445/2007 से दिनांक 11.07.2007 को अपील दायर की। न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2008 से अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2007 निरस्त किया।

न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2008 से अप्रसन्न होकर रेस्पोडेंटगण/वादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टीए/3344/2008/बारां से अपील दायर की गयी। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2008 अपास्त किया एवं उपखण्ड अधिकारी, छबडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2007 बहाल रखा गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा द्वारा तहसीलदार छबडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

08.07.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे प्रसन्न होकर अपीलांटगण प्रतिवादी कम 1 रामनारायण (मृतक) के वारिसान द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना का अभाव रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार कर तहसीलदार छबडा को प्रेषित किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बंटवारा प्रस्ताव उभयपक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पर दिनांक अंकित नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि बंटवारा प्रस्ताव कब तैयार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.07.2020 के अनुसार पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में श्रीमान् निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त होने पर दिनांक 08.07.2020 को पेश हुई। दिनांक 08.07.2020 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 08.07.2020 में यह अंकित किया है कि निर्णय दिनांक 19.09.2007 की पालना में डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी रामनारायण के फौत होने पर कायम मुकामान उनके वारिसान को बनाते हुए अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2020 को पेश किया जो शामिल मिसल है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किये बिना ही माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात जिस दिन अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुई उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट रामनारायण के कायम मुकामान को सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है जो सी.पी.सी. के विधिक प्रावधान एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2020 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार छबडा से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.04.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/02/2026

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा